सं. 42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन

खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

दिनांक: 30 अक्तूबर, 2024

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत की मंजूरी - संशोधित दर दिनांक 01.07.2024 से लागू।**

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 13.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/02/2024-पी&पीडब्ल्यू(डी) का संदर्भ देने और यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रपति जी ने यह निर्णय लिया है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को अनुज्ञेय महंगाई राहत को, **दिनांक 01 जुलाई, 2024** से मूल पेंशन/कुटुंब पेंशन (जिसमें अतिरिक्त पेंशन/कुटुंब पेंशन भी है) के **50% की मौजूदा दर से बढ़ाकर 53%** कर दिया जाए।

2. महंगाई राहत की ये दरें निम्नलिखित श्रेणियों पर लागू होंगी:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में आमेलित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगी, जिनकी बाबत 15 वर्ष की संराशीकरण अवधि के समाप्त होने के पश्चात पूर्ण पेंशन की बहाली हेतु इस विभाग के दिनांक 23.06.2017 के का.ज्ञा. सं.4/34/2002-पी&पीडब्ल्यू(डी)खंड-II द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, सहित सिविल केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(ii) सशस्त्र बलों के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी जिनके लिए रक्षा सेवा प्राक्कलनों से अदायगी की जाती है।

(iii) अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(iv) रेलवे पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी।

(v) ऐसे पेंशनभोगी जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

(vi) बर्मा सिविल पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी और बर्मा/पाकिस्तान से विस्थापित पेंशनभोगी/कुटुंब पेंशनभोगी, जिनकी बाबत इस विभाग के दिनांक 11.09.2017 के का.ज्ञा. सं.23/3/2008-पी&पीडब्ल्यू(बी)द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।

3. महंगाई राहत के संदाय में जहां रूपये का कोई भाग हो, वहां उसे अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाए।

4. महंगाई राहत के बकाया का संदाय पेंशन/कुटुंब पेंशन के संवितरण की तारीख अक्तूबर, 2024 से पहले नहीं किया जाए।

5. नियोजित कुटुंब पेंशनभोगियों और पुनर्नियोजित केंद्रीय सरकार के पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की अनुज्ञा को अभिशासित करने वाले अन्य उपबंध, केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 52 में निहित उपबंधों और इस विभाग के समय-समय पर यथासंशोधित, दिनांक 02.07.1999 के का.ज्ञा.सं.45/73/97-पी&पीडब्ल्यू(जी) के अनुसार विनियमित होंगे। जहां कोई पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन आहरित कर रहा है, वहां महंगाई राहत को विनियमित करने वाले उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।

6. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के मामले में, आवश्यक आदेश, न्याय विभाग द्वारा अलग से जारी किए जाएंगे।

7. यह पेंशन संवितरण प्राधिकरणों, जिसमें राष्ट्रीयकृत बैंक आदि भी हैं, का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक व्यक्ति के मामले में संदेय महंगाई राहत की मात्रा की गणना करें।

8. महालेखाकार कार्यालय और प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों से अनुरोध है कि वे सभी महालेखाकारों को संबोधित भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के दिनांक 23.04.1981 के पत्र सं 528 टीए, II/34-80-II और भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके सहायक बैंकों और सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को संबोधित भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 21 मई, 1981 के परिपत्र संख्या जीएएनबी सं 2958 जीए 64 (ii) (सीजीएल)/ 81 को ध्यान में रखते हुए, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक तथा भारतीय रिज़र्व बैंक से किसी अन्य अनुदेश की प्रतीक्षा किए बिना, उपर्युक्त अनुदेशों के आधार पर, पेंशनभोगियों और कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के संदाय का प्रबंध करें।

9. भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के संबंध में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 148(5) के अधीन यथाअधिदेशित, ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के साथ परामर्श करने के पश्चात जारी किए जाते हैं।

10. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सहमति से उनके दिनांक 21.10.2024 के कार्यालय ज्ञापन सं 1/5/2024-ई-II(बी) के अनुसरण में और सी&एजी के दिनांक 30.10.2024 के आईडी नोट सं. भारत के नि.म.ले.प.यू.ओ. संख्या-339 स्टाफ हक(नियम)/एआर/02-2020 के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

30/11/2024

(ध्रुवज्योति सेनगुप्ता)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि।(मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)
3. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव और प्रशासक।
4. सभी प्राधिकृत पेंशन संवितरण बैंकों के सीएमडी/सीपीपीसी।
5. भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) को सूचनार्थ।